संख्या– 189 /नौ–1–सिं0(विविध)(27)/03

प्रेषक,

एन0 रवि शंकर,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग

दिनांकः देहरादूनः जून 06 :2005

विषय :– मैसर्स गंगोत्री मिनरल्स (प्रा0) लिमिटेड को जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मिनरल वाटर फैक्ट्री के निमित्त भागीरथी नदी से 20,000 लीटर जल उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मैसर्स गंगोत्री मिनरल्स (प्रा0) लिमिटेड के साथ झाला (हर्षिल), उत्तरकाशी में स्थित मिनरल वाटर फैक्ट्री द्वारा भागीरथी नदी से ली गई/लिये जाने वाले जल की मात्रा के लिए रॉयल्टी लिये जाने के बिन्दु पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय ऐतद्विषयक पूर्व में निर्गत संगत शासनादेशों को अवकमित करते हुए मैसर्स गंगोत्री मिनरल्स (प्रा0) लिमिटेड को भागीरथी नदी से 20,000 लीटर मात्र (बीस हजार लीटर मात्र) जल, जिसे इस इकाई द्वारा शुद्ध करके बोतलों में जन सामान्य के उपयोग अथवा निर्यात के उद्देश्य से विक्रय किया जायेगा, उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1– राज्य की नवीन औद्योगिक नीति के अनुसार मिनरल वाटर प्लान्ट थ्रस्ट इंडस्ट्री (Thrust Industry) की श्रेणी में होने के फलस्वरूप इस उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रॉयल्टी की उदार दर निर्धारित करते हुए इकाई द्वारा रूपये 1,00,000/–मात्र (रूपये एक लाख मात्र) प्रति क्यूसेक प्रतिवर्ष रॉयल्टी का भुगतान करना होगा।

2– जल उपयोग का सत्यापन मीटरिंग के आधार पर करते हुए वास्तविक जल उपयोग के अनुसार रॉयल्टी के भुगतान की व्यवस्था सिंचाई विभाग द्वारा इस निमित्त निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध में यथाउल्लिखित समय सारणी तथा प्रकिया के अनुसार सुनिश्चित करना होगा।

3– भागीरथी नदी से कार्यस्थल तक जल ले जाने के लिए आवश्यक साधन/माध्यम की व्यवस्था नियमानुसार करने का दायित्व स्वयं इकाई का होगा और इस पर होने वाले समस्त पूंजीगत व्यय एवं रख–रखाव व्यय का वहन इकाई द्वारा ही किया जायेगा।

4– इकाई के द्वारा इस संयत्र का संचालन शत–प्रतिशत स्थानीय लोगों को सेवायोजन देकर करना होगा।

5– औद्योगिक इकाई द्वारा जिस अवधि में जल की उपलब्धता की मांग की जायेगी उस अवधि में सिंचाई विभाग द्वारा उन्हें सुलभ कराया जायेगा। नदी में स्वाभाविक रूप से जल में कमी होने अथवा दैवीय आपदा जैसी घटनाओं के कारण निर्धारित मात्रा में जल उपलब्ध न हो पाने की परिस्थिति में यदि इकाई को कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसका उत्तरदायित्व सिंचाई विभाग का नहीं होगा।

अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के पत्रांक 160/नौ–1–सिं0(27–विविध/03)/04 दिनांक 8–4–2004 के द्वारा प्रेषित अनुबन्ध के आलेख में उपरोक्तानुसार आवश्यक संशोधन करते हुए इकाई के साथ अनुबन्ध निष्पादित करने के उपरान्त इकाई को भागीरथी नदी से निर्धारित मात्रा में जल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।

भविष्य में मिनरल वाटर प्लान्ट की स्थापना हेतु प्राप्त होने वाले अन्य आवेदन पत्रों का निस्तारण उपर्युक्त सामान्य प्रतिबन्धों के अनुसार सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

N. Ravi Shankar

(एन0 रवि शंकर)
सचिव।

संख्या–189/नौ–1–सिं0(विविध)(27)/03/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मैसर्स गंगोत्री मिनरल्स (प्रा0) लिमिटेड, ए–4, जी0टी0करनाल रोड, दिल्ली–110033

2– सचिव, उद्योग, उत्तरांचल शासन।

3– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव, सिंचाई।